50/– रूपये के ज्युडिश्यिल स्टाप पर

अस्थायी पटवार प्रशिक्षण शाला ———————— के लिए चयनित सरकारी कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बंधपत्र का प्रारूप

यह बन्धपत्र आज दिनांक.. को श्री/श्रीमती/सुश्री ....पुत्र/पुत्री/पत्नी.. श्री ....जाति .... निवासी ....जो पटवारी पद पर (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रशिक्षणार्थी कहा गया है) प्रथम पक्ष और श्री ....पुत्र श्री .... जाति ....निवासी ....(प्रथम प्रतिभू) और श्री .... पुत्र/पुत्री .... श्री .... जाति.................................निवासी.. (द्वितीय प्रतिभू) जिन्हें इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से **'प्रतिभू'** के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, द्वितीय पक्षकार द्वारा **राजस्थान सरकार** (जिसे इसने इसके पश्चात् **'सरकार'** के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के पक्ष में निष्पादित किया जाता है :–

अतः प्रशिक्षणार्थी ने पटवारी **(योजना का नाम)** के अधीन प्रशिक्षण हेतु भारत **(देश का नाम)** भेजे जाने के लिए अवकाश और अन्य रियायतों के लिए सरकार को आवेदन किया है।

और यतः सराकर, उक्त प्रशिक्षणार्थी का नियोजन होने के नाते इसमें इसके पश्चात् वर्णित निबन्धनों पर और इस शर्त पर कि उक्त प्रतिभू प्रशिक्षणार्थी द्वारा इसमें इसके पश्चात् वर्णित निबन्धनों का अपेक्षित पालन करने के लिए प्रतिभूति देंगे, ऐसा करने को सहमत हो गये है

अतः यह बंधपत्र अब निम्नलिखित रूप में निष्पादित किया जाता है:–

1. इस करार के अनुसरण में सरकार द्वारा प्रशिक्षणार्थी को यथापूर्वोक्त प्रशिक्षण की बाबत दिये जाने वाले अवकाश और अन्य रियायतों के प्रतिफलस्वरूप उक्त प्रशिक्षणार्थी इसके द्वारा सरकार से प्रसंविदा करता है कि उक्त प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण की कालावधि समाप्त होने पर ड्यूटी पर उपस्थित हो जाएगा और ऐसे किसी वेतन या ग्रेड जो उसके उक्त प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान करने से पूर्व के अधिष्ठायी वेतन तथा ग्रेड से कम न हो किसी भी हैसियत में जिसके लिए उसे सरकार द्वारा तत्समय उपयुक्त समझा जाए, तीन वर्ष की कालावधि तक राज्य की सेवा करता रहेगा।

2. इस करार के अनुसरण में तथा यथापूर्वोक्त के प्रतिफलस्वरूप प्रशिक्षणार्थी तथा प्रतिभू इसके द्वारा इस बात से सहमत हैं कि प्रशिक्षणार्थी इस करार क खण्ड (1) के अनुसार यदि सेवा जारी नहीं रखता है या ऊपर उल्लिखित कालावधि की समाप्ति के पश्चात ड्यूटी पर आने में असफल रहता है या प्रशिक्षणार्थी द्वारा कदाचार, अक्षमता, अधीनता या कर्तव्य उपेक्षा के कारण उसे इसमें ऊपर वर्णित खण्ड (1) में उल्लेखित कालावधि के भीतर पदच्युत कर दिया या सेवा से हटा दिया जाए (**जिसके लिये सरकार एकमात्र निर्णायक हैं**) या यदि प्रशिक्षणार्थी त्याग पत्र दे दे या उक्त कालावधि के भीतर सरकार की सेवा छोड़ दें, तो उस स्थिति में प्रशिक्षणार्थी द्वारा उपयुक्त प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान ,आहरित सम्पूर्ण वेतन या उसका ऐसा भाग जो सरकार उचित समझे तथा सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण के लिये व्यय किये गये समस्त खर्चे का प्रशिक्षणार्थी और प्रतिभू संयुक्ततः और पृथकतः संदाय करेंगें।

3 प्रशिक्षणार्थी और प्रतिभुओं का दायित्व राशि .... रूपये से अनधिक रकम तक सीमित होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप उक्त प्रशिक्षणार्थी तथा उक्त प्रतिभू इस प्रकार से निम्नलिखित यह बंधपत्र निष्पादित करते हैः–

प्रशिक्षणार्थी के हस्ताक्षर	**प्रथम प्रतिभू के हस्ताक्षर**	**द्वितीय प्रतिभू के हस्ताक्षर**
(1) **साक्ष्य**	(1) **साक्ष्य**	(1) **साक्ष्य**
(2) **साक्ष्य**	(2) **साक्ष्य**	(2) **साक्ष्य**